कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 2283 /12-1, कोटबंगला दिनांक 02 /03 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में मुस्टिकसौड–कुरोली मोटर मार्ग के कंकराडी बैण्ड से किशनपुर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.163 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण के संम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0–(FP/UK/ROAD/23851/2017)

सन्दर्भः– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 भटवाडी उत्तरकाशी का पंत्राक–65/(उ0का0) 3भू0अ0 दिनांक 31.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है, कि मुस्टिकसौड–कुरोली मोटर मार्ग के कंकराडी बैण्ड से किशनपुर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.163 हे0 वन भूमि का सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या याचक विभाग द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो कि निम्नवत् है।

क्र0स0	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** **(क)**–वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.326 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम गेंवला सिविल सोयम खसरा नं0 1638 रक्वा – 0.688 हे0 खसरा नं0–4951 रक्वा–0.627 हे0 तथा खसरा नं0–4996 रक्वा–1.00 हे0 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों कों लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें ।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर वानिकी भूमि ग्राम गेंवला सिविल सोयम खसरा नं0 1638 रक्वा – 0.688 हे0 खसरा नं0–4951 रक्वा–0.627 हे0 तथा खसरा नं0–4996 रक्वा–1.00 हे0 कुल रक्वा–2.326 हे0 वनीकरण हेतु रू0 7,84,290.00 की धनराषि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या–150896123851309 कारपोरेशन बैंक, लोदी कॉम्पलेक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा कर दी गई है।(**संलग्नक–1**)
	(ख)– गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline Para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका है। **(खतौनी की नकल तथा जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का आदेश की छाया प्रति संलग्न–2 व 3)** उक्त सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

0/C

	(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है **(संलग्नक–4)**।
4.	**शुद्व वर्तमान मूल्य** **(क)**–इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या :202 / 1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रांलय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ. सी; (Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनाक 03.10.2006 एंव 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनाक 05. 02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 6.74 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्व वर्तमान मूल्य वसूली करेगी	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 7,64,091.00 NPV की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या–150896123851309 कारपोरेशन बैंक, लोदी कॉम्पलेक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा कर दी गई है **(संलग्नक–5)**।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा ।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–6)**।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 96 trees से अधिक नही होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before Stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) द्वारा चालान तैयार कर रू0 15,48,381.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या–150896123851309 कारपोरेशन बैंक, लोदी कॉम्पलेक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा कर दी गई है **(संलग्नक–7)**।
8	एफ.आर.ए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा ।	उक्त शर्त के अनुपालन में एफ.आर.ए. 2006 सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–8)**
9	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाऐ जाएगें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा ।

	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नही बदला जायेगा	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी ,विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार ,प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रयोक्ता विभाग से सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नही की गई है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	इस अनुमोदन में, प्रत्यावर्तित की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	केन्द्र सरकार के पूर्वानमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	इनमे से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एंव पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके सं पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 भटवाडी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना की अनुपालन आख्या अपने स्तर से ऑनलाइन पोर्टल परिवेश में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।